



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



17 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 595 राँची, सोमवार,

9 अक्टूबर, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

6 अक्टूबर, 2023

युवा कल्याण/विकास के क्षेत्र में कार्यरत सोसाईटीज/ट्रस्ट/स्वैच्छिक गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका

संख्या-01/खेल-12-05/2023 32--युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत देश में सम्प्रति युवा शक्ति की भागीदारी 30% से अधिक है और युवा हमारे देश के सामाजिक एवं आर्थिक पूँजी हैं। युवाओं के विकास पर ही देश का भावी विकास निर्भर करता है। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाएँ यथा - NCC, NSS, NYKS तथा Scout & Guides उपलब्ध हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त कई अन्य सोसाईटीज/स्वैच्छिक गैर सरकारी संस्थाएँ भी युवा कल्याण एवं युवा विकास के क्षेत्र में सक्रियता से कार्य कर रही हैं। इन्हीं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु इन्हें युवा कल्याण/विकास से संबंधित गतिविधियों/प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान किये जाने के निमित्त निम्नरूपेण मार्गदर्शिका निरूपित की जाती है:-

1. उद्देश्य:-

- युवा कल्याण/विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ।
- राज्य में युवा संबंधी गतिविधियों में वृद्धि ।
- राज्य में युवाओं का विकास ।

2. अनुदान प्राप्ति हेतु अर्हताएँ/शर्तें:-

- (i) आवेदक संस्था सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अथवा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत निबंधित होना चाहिए ।
- (ii) संस्था आवेदन की तिथि से कम-से-कम 03 (तीन) वर्ष पूर्व से युवा विकास/युवा कल्याण के क्षेत्र में सक्रियता से कार्यरत होनी चाहिए ।
- (iii) संस्था की गतिविधियाँ गैर राजनीतिक होनी चाहिए ।
- (iv) संस्था झारखण्ड राज्य में अवस्थित होनी चाहिए एवं जिन गतिविधियों हेतु अनुदान की माँग की गई हो, वह झारखण्ड के लिए ही होनी चाहिए ।
- (v) संस्था NGO Darpan पोर्टल पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए एवं उसके पास अपना Unique darpan ID होना चाहिए ।
- (vi) संस्था का अपना पैन (PAN) कार्ड होना चाहिए। आवेदक संस्था को आवेदन के साथ अपना पैन (PAN) कार्ड की छायाप्रति तथा गैर लाभकारी NGO को आयकर विभाग द्वारा निर्गत 12A एवं 80G प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (vii) संस्था भारत सरकार अथवा झारखण्ड सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं होनी चाहिए। आवेदक संस्था को आवेदन के समय इससे संबंधित एक शपथ पत्र (नोटरी) प्रस्तुत करना होगा ।
- (viii) संस्था का एक कार्यरत वेबसाइट एवं वेब एड्रेस होना आवश्यक है ।
- (ix) संस्था का संविधान संगठन के लोकतांत्रिक ढंग से संचालन का प्रावधान करता हो।
- (x) संगठन की सदस्यता 15 से 29 वर्ष के आयु समूह के अंतर्गत जाति, रंग, पंथ और लिंग के भेदभाव के बिना सभी युवाओं के लिए खुली होनी चाहिए ।
- (xi) संस्था की गतिविधियाँ युवाओं और सामान्य तौर पर समुदाय के लिए फायदेमंद होनी चाहिए और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए ।
- (xii) संस्था को खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा उपलब्ध कराये गए पिछले अनुदान की उपयोगिता प्रमाण पत्र, खाते का विवरण, गत वर्ष की गतिविधियों की विवरणी का जमा करना अनिवार्य होगा ।

3. अनुदान की राशि:-

- (i) एक संस्था, जो उपरोक्त कण्डिका - 2 में वर्णित अर्हताएँ धारित करती हों, को किसी गतिविधि/परियोजना के लिए उसके अनुमानित व्यय प्राक्कलन (Estimated Cost) का अधिकतम 50% (पचास प्रतिशत) तक की राशि अनुदान स्वरूप दी जा सकती है, परन्तु यह राशि 01 (एक) वर्ष में ₹ 10,00,000/- (दस लाख रुपये) से अधिक नहीं होगी ।

- (ii) उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था को आवेदन के उद्देश्य और संस्था के कार्यों को ध्यान में रखते हुए निहित मापदंडों के अधीन दिये जाने वाले अनुदान राशि की अधिसीमा में छूट प्रदान की जा सकती है। इसके लिए मा० विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा ।
 - (iii) किसी एक संस्था को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 02 (दो) गतिविधियों/ कार्यक्रमों हेतु अनुदान दी जा सकेगी ।
 - (iv) आवेदक संस्था को अनुदान हेतु आवेदन के समय संबंधित गतिविधि, जिसके लिए अनुदान की माँग की जा रही हो, का विस्तृत मदवार व्यय प्राक्कलन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
 - (v) संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि, जिसके लिए अनुदान की माँग की गई है, की प्रकृति एवं वह किस सीमा तक युवा कल्याण/विकास को बढ़ावा देगी, तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत करना होगा ।
4. उपरोक्त कण्डिका - 2 में वर्णित शर्तों/अर्हताओं को पूर्ण करने वाले संस्थाओं को निम्नांकित गतिविधियों के लिए सहायता अनुदान प्रदान की जा सकती है:-
- (i) युवा संगोष्ठी/परिचर्चा/सेमिनार/कार्यशाला का आयोजन ।
 - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवाओं के लिए प्रतियोगिताओं/ कार्यक्रमों का आयोजन ।
 - (iii) युवा संसद कार्यक्रम ।
 - (iv) युवा महोत्सव का आयोजन ।
 - (v) यूथ जर्नल्स ।
 - (vi) यूथ लीडरशिप प्रोग्राम ।
 - (vii) यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ।
 - (viii) सामाजिक सेवा शिविरों का आयोजन (ग्रामीण एवं झुग्गी बस्तियों में) ।
 - (ix) युवाओं के विकास एवं कल्याण हेतु विविध गतिविधियाँ ।
 - (x) युवाओं के लिए पुस्तकालय/रिडिंग रूम का संचालन ।
 - (xi) यूथ एडभेंचर एक्टिविटीज ।
5. अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन की प्रक्रिया:-
- झारखण्ड राज्य में अवस्थित अनुदान प्राप्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हताधारी स्वैच्छिक गैर सरकारी संस्थाएँ/संस्थान/ट्रस्ट निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची को समर्पित करेंगे। आवेदन प्राप्ति हेतु समय का निर्धारण निदेशक द्वारा किया जाएगा ।
6. युवा कल्याण/विकास के क्षेत्र में कार्यरत सोसाईटीज/ट्रस्ट/स्वैच्छिक गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनुदान/वित्तीय सहायता हेतु विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदनों पर निम्नवत् गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा:-

1.	निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची ।	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची ।	सदस्य सचिव
3.	अवर सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।	सदस्य
4.	अवर सचिव, पर्यटन, कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड, राँची ।	सदस्य
5.	राज्य निदेशक, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, झारखण्ड ।	सदस्य
6.	राज्य एन०एस०एस० पदाधिकारी, झारखण्ड ।	सदस्य
7.	राष्ट्रीय युवा पुरस्कार/राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्राप्त राज्य का एक युवा, जिसे निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा नामित किया जाएगा ।	सदस्य

7. उक्त समिति निर्णय हेतु प्राप्त आवेदनों की स्कूटनी करते हुए यदि आवश्यक हो तो संबंधित संस्थाओं से Clarification भी प्राप्त कर सकती है। तदोपरांत यह समिति अपना निर्णय निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय को समर्पित करेगी ।
8. उक्त समिति के निर्णय के आलोक में निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची अपने मंतव्य के साथ अनुशंसा मा० विभागीय मंत्री के अनुमोदन हेतु विभाग को प्रेषित करेंगे। समिति के निर्णय एवं निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य की अनुशंसा पर मा० विभागीय मंत्री का निर्णय अंतिम होगा। मा० विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त निदेशक, खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा योग्य संस्थाओं को स्वीकृत अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी ।
9. इस पर होने वाला व्यय राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष - 2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ - लघु शीर्ष - 796/104 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/खेलकूद - उप शीर्ष - 48 - खेल एवं युवा प्रोत्साहन गतिविधियों को अनुदान - विस्तृत शीर्ष - 06 - अनुदान प्राथमिक इकाई - 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद से विकलनीय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
